

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 13, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-36/2017/1/पांच(56) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफए-3-36/2017/1/पांच(78) दिनांक 25 जुलाई, 2017, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"6कक	5605	धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरण: यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी।";

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक एफ ए 3-36-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36-2017-1-पांच (56), दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4th December 2023

No. F A 3-36/2017/1/V(56) : In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. FA-3-36/2017/1/V(66) dated 30th June, 2017 , namely:-

In the said notification, in the TABLE, after S. No. 6A and the entries relating thereto, following S.No. and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"6AA.	5605	Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film /plastic film; Explanation: This entry shall apply for refund of input tax credit only on polyester film /plastic film";

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.